2015/00175 छन्ना लाल V/S जयपुर विकास प्राधि

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	20/05/25	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकार उपस्थित अनुपस्थित। प्रकरण पर अन्तिम बहस हेतु पत्रावली दिनांक 06/06/25 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी बस्सी जिला-जयपुर	
	06/06/25	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकार उपस्थित। प्रकरण पर बहस सुनी गई। वास्ते आदेश हेतु पत्रावली दिनांक 19/06/2025 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी बस्सी जिला-जयपुर	
	19/06/25	पत्रावली पेश। वकील पक्षकार उपस्थित। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन करने एवं बहस पूर्व पर मनन पश्चात दावा वादी खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली है। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। यह निर्णय आज दिनांक 19/06/2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी, जयपुर

(पीठासीन अधिकारी ओम प्रकाश मीना RAS)

प्रकरण संख्या:– 16/2015 जी.सी.एम.एस नं0 2015/00175

1. धन्नालाल पुत्र रामनाथ जाति धोबी (मृतक दीवानी दावा)
   1/1 सूरजमल पुत्र स्व0 धन्नालाल
   1/2 भगवान पुत्र स्व0 धन्नालाल
   1/3 श्रवण कुमार पुत्र स्व0 धन्नालाल
   1/4 जयकुमार पुत्र स्व0 नरेन्द्र कुमार पौत्र स्व0 धन्नालाल
   1/5 सीमा पत्नी स्व0 नरेन्द्र कुमार
   1/6 मनभर देवी पत्नी स्व0 धन्नालाल
   समस्त जाति धोबी निवासी रेल्वे स्टेशन रोड बस्सी, ग्राम बस्सी तहसील बस्सी जिला जयपुर।
   1/7 नर्बदा देवी पुत्री धन्नालाल पत्नी मानसिंह जाति धोबी निवासी बी–232–233, जे पी कॉलोनी, सेक्टर 4 विद्याधर नगर, जयपुर।

–:वादीगण:–

बनाम्

1. जयपुर विकास प्राधिकरण जरिये सचिव जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर जिला जयपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बस्सी जिला जयपुर।

–:प्रतिवादीगण:–

दावा अन्तर्गत धारा 88, 188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–श्री सनातन पारीक, एड0 वादी।

–:निर्णय:– दिनांक:– 19/06/2025

1. आज यह दावा बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा आराजी का वास्ते निर्णय पेश हुआ। सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि वादी के पितामह महादेव के समय से चली आ रही कब्जे काश्त एवं खातेदारी की कृषि भूमि साबिक खसरा नम्बर 1699–1700 रकबा 4 बीघा 18 बिस्वा किस्म बंजड ग्राम बस्सी तहसील बस्सी में स्थित है, जिसका इन्द्राज भी जमाबन्दी सम्वत 2011 में वादी के पितामह महादेव पुत्र गणेश व पिता रामनाथ वल्द महादेव के नाम खातेदारी में अंकित है। ग्राम बस्सी में हुई प्रथम बन्दोबस्त कार्यवाही सम्वत 2015 से 2034 में वादी की उपरोक्त वर्णित पैतृक कब्जे व खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 1699–1700 रकबा 4 बीघा 18 बिस्वा के नये खसरा नम्बर 1759 रकबा 4 बीघा 8 बिस्वा किस्म बारानी सोयम कायम किया गया, जिसका पर्चा बन्दोबस्त वादी के पूर्वाधिकारियों के नाम दर्ज चले आ रहे खातेदारी इन्द्राज के अनुसार महादेव के नाम जारी किया गया। उपरोक्त वर्णित भूमि का खातेदारी इन्द्राज सम्वत् 2008 से 2020 तक वादी के पितामह महादेव वल्द गणेश जाति धोबी के नाम तत्पश्चात वादी के पिता रामनाथ विवादित भूमि पर बहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज रहे, जिसका इन्द्राज व राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। सम्वत 2019 की एकीकरण कार्यवाही में वादी की पैतृक कब्जे काश्त एवं खातेदारी की भूमि साबिक खसरा नम्बर 1759 रकबा 4 बीघा 8 बिस्वा के नये खसरा नम्बर 751 रकबा 4 बीघा 8 बिस्वा कायम किये गये परन्तु वादी के पिता रामनाथ को सूचना दिये एवं बिना क्षेत्राधिकार के गैर कानूनी रूप से खातेदारी इन्द्राज निरस्त कर

Scanned with OKEN Scanner

भूमि की किस्म बदलकर अवैधानिक रूप से चारागाह अंकित कर दिया, जबकि उपरोक्त वर्णित भूमि कभी चारागाह भूमि नहीं रही और न ही वर्तमान में है, बल्कि उक्त भूमि वादी के पूर्वजों के समय से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रभाव में आने के पूर्व से वादी के पूर्वजों की कब्जे व खातेदारी में दर्ज रही है। ग्राम बस्सी में अंतिम बन्दोबस्त कार्यवाही 25 सितम्बर 2008 से 24 सितम्बर 2028 की सम्पन्न हुई कार्यवाही में वादी की पैतृक कब्जे व खातेदारी की भूमि के नये खसरा नम्बर 1120 रकबा 1.11 है0 कायम किये गये है। यहां यह उल्लेख किया जाना आवश्यक है कि एकीकरण कार्यवाही में वादी की पैतृक कब्जे व खातेदारी की भूमि का अवैधानिक रूप से चारागाह भूमि में अंकित कर दिये जाने से भूमि का इन्द्राज सरकारी खाते की भूमियों में कर दिया गया तत्पश्चात राजस्थान सरकार के आदेश से जयपुर विकास प्राधिकरण के क्षेत्र में स्थित समस्त राजकीय भूमियों का इन्द्राज प्रतिवादी संख्या 1 के नाम कर दिया गया। जबकि वादी की पैतृक भूमि का खातेदारी इन्द्राज एवं किस्म परिवर्तन एकीकरण कार्यवाही के दौरान कर चारागाह में किया गया इन्द्राज पूर्णतया अवैध एवं प्रभावशुन्य है तथा क्षेत्राधिकार विहिन होने के कारण वाईड एवं इनिशियों है तथा अवैध इन्द्राज के आधार पर प्रवितादी संख्या 1 के नाम दर्ज किया गया इन्द्राज स्वतः ही अवैध एवं प्रभावशुन्य है। जिसके आधार पर प्रतिवादी संख्या 1 को वादी की पैतृक कब्जे व खातेदारी की भूमि में किसी प्रकार के कोई हित व अधिकार अर्जित नहीं हो सकते। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद में खसरा नम्बर 1120 रकबा 1.11 हैक्टेयर विवादित है। सैटलमेन्ट व एकीकरण विभाग को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज पूर्व से चले आ रहे राजस्व रिकॉर्ड के इन्द्राज को ही दोहराने की शक्तियों प्राप्त थी उन्हे वादग्रस्त भूमि के महादेव पुत्र गणेश के नाम से चले आ रहे खातेदारी इन्द्राज का समाप्त करने अथवा भूमि की किस्म को परिवर्तन करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं था, उनको बिना सक्षम न्यायालय के आदेश के विद्यमान खातेदारी इन्द्राज व भूमि की किस्म में परिवर्तन कराने का कोई क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं था। वादी जाति से धोबी का अशिक्षित मजदूर पेशा व्यक्ति होने के कारण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की अपेंडिक्स–ए में अनुसूचित जाति की सूचि में अंकितानुसार अनुसूचित जाति का गरीब व्यक्ति है एवं कानूनीप्रावधानों से अनभिज्ञ है। वादी की पैतृक कब्जे व खातेदारी की भूमि पर वादी के पितामह महादेव व उनके पश्चात वादी के पिता रामनाथ व वर्तमान में वादी काविज काश्त चला आ रहा है। वादी के पूर्व हितधारी रामनाथ से उकसी खातेदारी की भूमि का इन्द्राज अवैध रूप से विलोपित कर चारागाह भूमि दर्ज किये जाने के बाद भी भूमि पर निरन्तर काविज रहा तथा उनके विरूद्ध धारा 91 भू–राजस्व अधिनियम के तहत चली कार्यवाही में नियमन की सिफारिश भी की है। वादी की पैतृक कब्जे खातेदारी की भूमि का इन्द्राज वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज होने के कारण भू–माफिया तत्व वादी को गरीब व अनुसूचित जाति का असहाय व्यक्ति जानकर प्रतिवादी संख्या 1 के अधिनस्थ कर्मचारियों से मिलीभगत कर वादी को जबरन बेदखल कर कब्जा करने की

उपखण्ड अधिकारी
बस्सी जिला–जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

चेष्टा में माह नवम्बर 2014 से लगे है तथा आये दिन वादी को बेवजह हैरान व परेशान करते रहते है। जिससे पीडीत होकर वादी को अपनी पैतृक कब्जे व खातेदारी की भूमि के अवैध हुए इन्द्राज को निरस्त कराना आवश्यक हो गया तथा वादी ने इसके लिए प्रतिवादी संख्या 1 को वाद दायरी से पूर्व 2 माह का विधिक नोटिस अन्तर्गत धारा 79 जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 1982 का दिनांक 26.11.2014 को प्रेषित कर दिया परन्तु प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा नोटिस प्राप्त होने के बावजूद भी निर्धारित अवधि में वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड को दुरूस्त कराने की कोई कार्यवाही आज दिनांक तक नहीं की जिसके कारण वादी को मान्य न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर वादग्रस्त भूमि पैतृक का खातेदार काश्तकार घोषित कराने हेतु मान्य न्यायायल में दावा प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। दावा वादी विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 1 बाबत् घोषणा डिक्री फरमाया जाकर वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 1120 रकबा 1.11 है0 वाके ग्राम बस्सी तहसील बस्सी जिला जयपुर से प्रतिवादी संख्या 1 का नाम विलोपित किया जाकर वादी का नाम इन्द्राज खातेदारी दर्ज किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाने एवं दावा वादी विरूद्ध प्रतिवादी बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे की वे वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर वादग्रस्त भूमि 1120 रकबा 1.11 है0 वाके ग्राम बस्सी तहसील बस्सी जिला जयपुर में वादी के कब्जे काश्त कार्य में किसी प्रकार की दखल न करे न जबरन बेदखल करे न कोई संस्था अथवा व्यक्ति को आवंटित करे न कोई स्कीम बनाये न कोई निर्माण कार्य करावे एवं भूमि की यथास्थिति बनाये रखने का निवेदन किया।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। बावजूद सम्यक तामील हाजिर अदालत नहीं आने पर प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। दौराने दावा वादी के फौत होने पर उसके कानूनी वारिसान को रिकॉर्ड पर लिया गया। प्रतिवादी संख्या 2 पेरोकार सरकार द्वारा प्रकरण में पर्याप्त अवसरों के जवाब पेश नहीं करने पर प्रतिवादी संख्या 2 का जवाब बन्द किया गया। प्रकरण में तनकीयात निम्नानुसार कायम की गई :–

1. आया कि वादी वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 1120 रकबा 1.11 हैक्टेयर वाके ग्राम बस्सी तहसील बस्सी का खातेदार काश्तकार घोषित करवाने के अधिकारी है।

   जिम्मे– वादी

2. आया की वादी वादग्रस्त आराजीयात के सम्बन्ध में प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने के अधिकारी है।

   जिम्मे– वादी

3. दादरसी क्या होगी ....

3. प्रकरण में प्रदर्श इस प्रकार डाले गये :– प्रदर्श संख्या–P1 नोटिस जेर दफा 79 जे0डी0ए0 एक्ट 1982, प्रदर्श संख्या–P2 जे0डी0ए0 जयपुर जमाबन्दी सम्वत् 2068, प्रदर्श संख्या–P3 भू–प्रबन्ध विभाग मिलान क्षेत्रफल अवधि 25 सितम्बर 2008 से 24 सितम्बर 2028 खसरा नम्बर 750, 751 की नकल, प्रदर्श संख्या–P4 एकीकरण खतौनी जमाबन्दी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी, जयपुर (रा.)

उपखण्ड अधिकारी
बस्सी जिला–जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

जमाबन्दी सम्वत् 2014 पृष्ठ संख्या 408, प्रदर्श संख्या–P5 मिलान क्षेत्रफल सम्वत् 2014 वर्तमान खसरा नम्बर 750, 751, प्रदर्श संख्या–P6 सेटलमेन्ट विभाग खतौनी जमाबन्दी सम्वत् 2015–2034, प्रदर्श संख्या–P7 जमाबन्दी नकल , प्रदर्श संख्या–P8 जमाबन्दी नकल ग्राम बस्सी सम्वत् 2015 खसरा नम्बर 1759, प्रदर्श संख्या–P9 ग्राम बस्सी जमाबन्दी सम्वत् 2015 खसरा नम्बर 750, 751, प्रदर्श संख्या–P10 ग्राम बस्सी जमाबन्दी सम्वत् 2025 खसरा नम्बर 750, 751, प्रदर्श संख्या–P11 ग्राम बस्सी जमाबन्दी सम्वत् 2031 खसरा नम्बर 750, 751, प्रदर्श संख्या–P12 ग्राम बस्सी जमाबन्दी सम्वत् 2033 खसरा नम्बर 750, 751, प्रदर्श संख्या–P13 ग्राम बस्सी जमाबन्दी सम्वत् 2036 खसरा नम्बर 750, 751, प्रदर्श संख्या–P14 ग्राम बस्सी जमाबन्दी सम्वत् 2044 खसरा नम्बर 750, 751 डालने के पश्चात प्रकरण में वादी ने वाद के समर्थन में लिखितशुदा शपथ पत्र पेश किये जिसके साक्ष्यी में को साक्ष्य पेश नहीं किये। प्रकरण पर वादी अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई। अधिवक्ता वादी ने अपने दावे में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 1120 रकबा 1.11 है0 वाके ग्राम बस्सी तहसील बस्सी जिला जयपुर से प्रतिवादी संख्या 1 का नाम विलोपित किया जाकर वादी का नाम इन्द्राज खातेदारी दर्ज किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर दावा वादी विरूद्ध प्रतिवादी बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाने का निवेदन किया।

4. प्रकरण में उक्त कायम तनकी का बिन्दूवार विवेचन इस प्रकार है कि :–

<u>बिन्दू तनकी संख्या 1</u>:– आया कि वादी वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 1120 रकबा 1.11 हैक्टेयर वाके ग्राम बस्सी तहसील बस्सी का खातेदार काश्तकार घोषित करवाने के अधिकारी है, इस बिन्दू को सिद्ध करने का भार वादी पर था। जिसे वादी पूर्ण रूप से सिद्ध करने में असफल रहे।

<u>बिन्दू तनकी संख्या 2</u>:– आया की वादी वादग्रस्त आराजीयात के सम्बन्ध में प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने के अधिकारी है, को सिद्ध करने का भार वादी पर था। जिसे सिद्ध करने में वादी असफल रहा।

5. मैनें पत्रावली का अवलोकन करने तनकी का विवेचन करने एवं वादी अधिवक्ता की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलबध दस्तावेज – प्रदर्श संख्या–P1 नोटिस जेर दफा 79 जे0डी0ए0 एक्ट 1982, प्रदर्श संख्या–P2 जे0डी0ए0 जयपुर जमाबन्दी सम्वत् 2068, प्रदर्श संख्या–P3 भू–प्रबन्ध विभाग मिलान क्षेत्रफल अवधि 25 सितम्बर 2008 से 24 सितम्बर 2028 खसरा नम्बर 750, 751 की नकल, प्रदर्श संख्या–P4 एकीकरण खतौनी जमाबन्दी सम्वत् 2014 पृष्ठ संख्या 408, प्रदर्श संख्या–P5 मिलान क्षेत्रफल सम्वत् 2014 वर्तमान खसरा नम्बर 750, 751, प्रदर्श संख्या–P6 सेटलमेन्ट विभाग खतौनी जमाबन्दी सम्वत् 2015–2034, प्रदर्श संख्या–P7 जमाबन्दी नकल , प्रदर्श संख्या–P8 जमाबन्दी नकल ग्राम बस्सी सम्वत् 2015 खसरा नम्बर 1759, प्रदर्श

उप खण्ड अधिकारी
बस्सी (जिला जयपुर)

Scanned with OKEN Scanner

संख्या–P9 ग्राम बस्सी जमाबन्दी सम्वत् 2015 खसरा नम्बर 750, 751, प्रदर्श
संख्या–P10 ग्राम बस्सी जमाबन्दी सम्वत् 2025 खसरा नम्बर 750, 751, प्रदर्श
संख्या–P11 ग्राम बस्सी जमाबन्दी सम्वत् 2031 खसरा नम्बर 750, 751, प्रदर्श
संख्या–P12 ग्राम बस्सी जमाबन्दी सम्वत् 2033 खसरा नम्बर 750, 751, प्रदर्श
संख्या–P13 ग्राम बस्सी जमाबन्दी सम्वत् 2036 खसरा नम्बर 750, 751, प्रदर्श
संख्या–P14 ग्राम बस्सी जमाबन्दी सम्वत् 2044 खसरा नम्बर 750, 751, वादी का साक्ष्य शपथ पत्र इत्यादि का अवलोकन करने एवं वादी अधिवक्ता की बहस पर मनन पश्चात् हम पाते है कि खसरा नम्बर 1120 रकबा 1.11 है0 किस्म चरागाह वाके ग्राम बस्सी तहसील बस्सी जिला जयपुर वर्तमान में जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। वर्तमान खसरा नम्बर 1120 रकबा 1.11 है0 किस्म चरागाह वाके ग्राम बस्सी तहसील बस्सी जिसके पूर्व साबिक खसरा नम्बर 1759 रकबा 4 बीघा 8 बिस्वा के नये खसरा नम्बर 751 रकबा 4 बीघा 8 बिस्वा वाके ग्राम बस्सी वादी के पूर्वजों की पैतृक कब्जे काश्त एवं खातेदारी होना बताया है। वादी प्रकरण में कायम तनकी को सिद्ध करने में असफल होने से यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 1120 रकबा 1.11 है0 किस्म चरागाह वाके ग्राम बस्सी तहसील बस्सी पर वादी के पूर्वजों का कब्जा काश्त रहा हों। जिससे वादी को वाद बाबत् घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा के तहत वाके ग्राम बस्सी खसरा नम्बर 1120 रकबा 1.11 है0 किस्म चरागाह के सम्बन्ध में चाहा गया अनुतोष दिया जाना न्यायोचित नहीं होने पर वादी का वाद खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

दावा वादी बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के तहत वाके ग्राम बस्सी खसरा नम्बर 1120 रकबा 1.11 है0 किस्म चरागाह के सम्बन्ध में चाहा गया अनुतोष दिया जाना न्यायोचित नहीं होने से वादी का वाद खारिज किया जाता है। इसी अनुसार पर्चा डिक्री तैयार की जावें।

यह निर्णय आज दिनांक 19/06/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया।

(ओम प्रकाश मीना R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी बस्सी
जिला जयपुर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी, जयपुर

(पीठासीन अधिकारी ओम प्रकाश मीना RAS)

प्रकरण संख्या:- 16/2015 सी.सी.एम.एस नं0 2015/00175

वादीगण

1. धन्नालाल पुत्र रामनाथ जाति धोबी (मृतक दौराने दावा)
   1/1 सूरजमल पुत्र स्व0 धन्नालाल
   1/2 भगवान पुत्र स्व0 धन्नालाल
   1/3 श्रवण कुमार पुत्र स्व0 धन्नालाल
   1/4 जयकुमार पुत्र स्व0 नरेन्द्र कुमार पौत्र स्व0 धन्नालाल
   1/5 सीमा पत्नी स्व0 नरेन्द्र कुमार
   1/6 मनभर देवी पत्नी स्व0 धन्नालाल
   समस्त जाति धोबी निवासी रेल्वे स्टेशन रोड बस्सी, ग्राम बस्सी तहसील बस्सी जिला जयपुर।
   1/7 नर्बदा देवी पुत्री धन्नालाल पत्नी मानसिंह जाति धोबी निवासी बी-232-233, जे पी कॉलोनी, सेक्टर 4 विद्याधर नगर, जयपुर।

प्रतिवादीगण

1. जयपुर विकास प्राधिकरण जरिये सचिव जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर जिला जयपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बस्सी जिला जयपुर।

दावा घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :-श्री सनातन पारीक, एड0 वादी।

दिनांक 19/06/2025

पर्चा डिक्री

दावा वादी बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के तहत वाके ग्राम बस्सी खसरा नम्बर 1120 रकबा 1.11 है0 किस्म चरागाह के सम्बन्ध में चाहा गया अनुतोष दिया जाना न्यायोचित नहीं होने से वादी का वाद खारिज किया जाता है।

यह निर्णय आज दिनांक 19/06/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओम प्रकाश मीना R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी बस्सी
जिला जयपुर

Scanned with OKEN Scanner